भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या *331
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

केरल में तटीय कटाव

***331: श्री बैन्नी बेहनन**:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में बढ़ते तटीय कटाव और मछुआरा समुदायों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान विस्थापित मछुआरों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता अथवा पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

केरल में तटीय कटाव के संबंध में 12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *331 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग): भारत की तटरेखा के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक कारणों या मानवजनित गतिविधियों के कारण अलग-अलग स्तर के कटाव (इरोशन) होते हैं। कटाव-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले तटीय समुदायों पर तटीय कटाव का प्रभाव होता है, जिनमें मछुआरा समुदाय भी शामिल हैं । तटीय कटाव और कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास का मामला मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आता है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने मात्स्यिकी के सर्वांगीण विकास और मछुआरों एवं मत्स्य किसानों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की परिकल्पना की है, जैसे कि पारंपरिक मछुआरों के लिए नावों और जालों की रीप्लेसमेंट, निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसेल्स का उन्नयन, डीप सी फिशिंग वेसेल्स का अधिग्रहण, वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियाँ जैसे समुद्री शैवाल कल्चर, बिवाल्व कल्चर और केज कल्चर, सजावटी यूनिट्स, प्रशिक्षण और कौशल विकास, कोल्ड-चेन और मारकेटिंग सुविधाएं जैसे फिश मारकेट्स, फिश कियोस्क इत्यादि । इसके अलावा, मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PMMSY के तहत संचार / ट्रैकिंग उपकरणों, समुद्र-सुरक्षा किट, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा आदि प्रदान की जाती है । इसके अलावा**,** PMMSY की जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गाँव [क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस (CRCFV)] पहल में, आवश्यकतानुसार गतिविधियों के साथ-साथ, विकास सुविधाओं में से एक, तट संरक्षण कार्यों की परिकल्पना की गई है जैसे छोटे ग्रोएन या किसी भी तकनीकी रूप से उन्नत संरचनाओं की स्थापना । प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत विगत 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल सरकार के 1347.55 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स का निर्माण/विस्तार शामिल है। इन निर्माण कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यकता आधारित जल और भूमि सुविधाओं जैसे ब्रेकवाटर, ट्रेनिंग वाल्स और ग्रॉयन का विकास शामिल है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से मात्स्यिकी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आश्रय और शांत बेसिन का निर्माण करना तथा खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने PMMSY के अंतर्गत अब तक केरल राज्य में 507.28 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 12 फिशिंग हारबर/फिश लैंडिंग सेंटर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फ़ंड (FIDF) के अंतर्गत 161 करोड़ रुपए की कुल लागत से आर्थुंगल फिशिंग हार्बर के विकास हेतु केरल सरकार के एक अन्य प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, केरल में मछुआरा लाभार्थियों को अब तक 10,291 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्वीकृत किए जा चुके हैं।

केरल सरकार ने, केरल के विभिन्न स्थानों में तटीय कटाव से ग्रस्त तटीय हिस्सों के बारे में रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**,** भारत सरकार के अधीन) ने उपयुक्त सुरक्षा पद्धति की पहचान के लिए तटीय कटाव से ग्रस्त क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन किया है। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में बार-बार होने वाले समुद्री हमले (सी अटैक) की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार ने पहले ही विभिन्न सुरक्षा कार्य शुरू कर दिए हैं, जैसे संवेदनशील स्थानों पर क्षतिग्रस्त समुद्री दीवारों (सी वाल) का सुधार, तटीय समुद्री दीवारों का रखरखाव कार्य, तटीय सुरक्षा कार्य और जियोबैग का उपयोग करके घरों के लिए सुरक्षा कार्य।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कटाव (इरोशन) के जोखिम को कम करने के लिए**,** पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 1**,**500 करोड़ रुपये और कटाव (इरोशन) से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय के दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-03/2020-NDM-I (खंड-II) के अनुसार आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ियों के लिए NDRF / SDRF के अंतर्गत राहत प्रदान की जाती है और मात्स्यिकी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल है।

*****